



न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरधना (मेरठ)
राज्य-बनाम-शकीजान आदि
जमानत प्रार्थना सं०-24/2026
फौजदारी वाद सं०-2829/2025
मु०अ०सं०-481/2024
अन्तर्गत धारा-115(2),131 बी०एन०एस०
थाना-सरधना, जिला मेरठ ।

दिनांक: 06.03.2026

1. पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।
2. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. शकीजान पुत्र अजीज, 2. आदिल पुत्र शकीजान, 3. नरगिस पुत्री शकीजान, 4. साजिदा पत्नी शकीजान निवासीगण ग्राम पौहल्ली थाना सरधना, जिला मेरठ** की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए आधारस्वरूप यह कथित किया गया था। विवेचक महोदय, द्वारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित प्रावधानों का लाभ प्रदान करते हुए बिना गिरफ्तार किये विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र प्रार्थी के विरुद्ध प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर समन जारी है। ऐसी दशा में माननीय न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारि बच्ची देवी बनाम उ०प्र० 2025(3) Crimes 322 (All) के पैरा नंबर 38 के क्लॉज (ii) के निर्देशानुसार सक्षम जामीनान व बंधपत्र हेतु आदेशित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अभियुक्तगण को बच्ची देवी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य 2025 में पारित दिशा-निर्देशों के आलोक में बन्ध पत्र व जामिनान दाखिन करने की अनुमति प्रदान की जाये।

3. न्यायालय द्वारा, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय बच्ची देवी बनाम उ०प्र० 2025(3) Crimes 322 (All) सम्मान अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन से यह विदित है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश के पैरा न०-38 में विस्तृत रूप से दिशा निर्देश दिये गये हैं।

(1) All District Judges shall ensure that. In cases where the charge-sheet has been filed without arrest whether because custodial Interrogation was not effected during investigation by Investigating Officer, or the accused had secured anticipatory ball/protective orders under Article 226 of the Constitution or Section 528 of the BNSS and duly cooperated during investigation the trial court shall not remand the accused to judicial custody upon appearance pursuant to summons, nor insist upon filing of regular or anticipatory bail applications. The accused shall be permitted to appear and furnish a personal bond at the first instance, in terms of Musheer Alam (supra) and Satender Kumar Antil (supra). The requirement of surety under Section 91 BNSS may be considered subsequently at the court's discretion to ensure appearance of the accused.

4. उक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह अवधारित किया गया है कि यदि किसी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी दौरान विवेचना पुलिस द्वारा नहीं की गयी है कि अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है, तो विचारण न्यायालय अभियुक्त को जमानत प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित नहीं करेगा और अभियुक्तगण को अवगत कराएगा कि यह बंधपत्र व जमानतदार दाखिल कर सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो अधिकतम 07 वर्ष तक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वाद में सहयोग किये जाने का भी कथन किया गया है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **बच्ची देवी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य 2025** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या-481/2024 सरकार बनाम शकीजान आदि में अभियुक्तगण 1. शकीजान पुत्र अजीज, 2. आदिल पुत्र शकीजान, 3. नरगिस पुत्री शकीजान, 4. साजिदा पत्नी शकीजान निवासीगण ग्राम पौहल्ली थाना सरधना, जिला मेरठ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि यह 25,000/-रूपये का बंध पत्र व इसी धनराशि के जमानत प्रतिभु दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे व इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि वह आगामी तिथियों पर वाद की कार्यवाही में सकारात्मक सहयोग करेंगे। पत्रावली नियत तिथि को पेश हो।

दिनांक: 06.03.2026

(परवीन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरधना
मेरठ ।
JO CODE 04687